

हतियों का टकराव

एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के शासी निकाय ने हाल ही में विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिये उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से एक बैठक की। नविरतमान कुलपति भी इस पैनाल का हस्सिा थे। संयोगवश, कुलपति की पत्नी, जो शासी निकाय की सदस्य भी हैं, कुलपति पद के लिये वचिार कयि जा रहे उम्मीदवारों के समूह का हस्सिा थी।

दी गई परस्सिथति में, शासी निकाय के सात सदस्यों ने कार्यवाहक कुलपति की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए एक असहमति पत्र परसतुत कयि। असंतुष्ट सदस्यों ने कार्यवाहक कुलपति की उस बैठक की अध्यक्षता करने की नैतिकता पर चतिा वयक्त की जसिमें उनकी पत्नी को कुलपति पद के लिये शॉर्टलिस्ट कयिा गया था। असहमति पत्र में यह तर्क दयिा गया है कयिह सथति "Nemo iudex in causa sua" (अर्थात् कसिी को भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहयि) के सदिधांत का उल्लंघन करती है जसिसे हतियों के टकराव की सथति उत्पन्न होती है।

कार्यवाहक कुलपति ने परसिद के दो सदस्यों की आपत्तयियों को नजरअंदाज़ करते हुए अपने पक्ष में नरिणय लयि। उन्होंने तर्क दयिा कइस मामले में कटों के संघर्ष जैसी कोई सथति नहीं थी कयोंक वह परतसिपरद्धा नहीं कर रहे थे, और वह तथा उनकी पत्नी अलग-अलग कानूनी संस्थाएँ हैं। असहमति पत्र में कुलपति की चयन परक्रयिा में नषिपक्षता के सदिधांत का पालन करने के महत्त्व पर ज़ोर दयिा गया है ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके कनरिणय बना कसिी पूरवाग्रह के लयि जाएँ, चाहे वे वासतवकि हों या कथति।

क्या एक कार्यवाहक कुलपति के लयि उस बैठक की अध्यक्षता करना नैतिक रूप से स्वीकार्य है जसिमें उसका जीवनसाथी एक प्रमुख पद के लयि उम्मीदवार है और संस्थानों को नरिणय लेने की परक्रयिाओं में नषिपक्षता एवं पारदर्शति बनाए रखने के लयि हतियों के संभावति टकराव को कैसे संबोधति कयिा जाना चाहयि?